राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (701) आकाशि/नि.सं./2010/ 686 दिनांक:- 13-1-16

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2015–16 से निम्नलिखित महाविद्यालय को आवंटित विषय /संकाय के लिये स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

| महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्धक विश्वविद्यालय | विषय/संकाय |
|---|---|---|
| ग्लोबल एज्यूकेशन इंस्टीटयूट ग्राम–डेडवा खुर्द, तहसील सांचोर जिला जालोर | जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | स्नातक (कला संकाय)–अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त–राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिन्दी साहित्य |

1. सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0 से संबद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लघंन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1.निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3.जिला कलेक्टर, जालौर।
4.कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5.सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6.सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7.रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0) 13/1/16

Self Attested

सचिव
ग्लोबल एज्यूकेशन सोसायटी

राजस्थान-सरकार
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः- एफ4 (701)आकाशि / नि.सं. / 2010 / 685 दिनांक :- 13-1-16

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर ग्लोबल एज्यूकेशन इंस्टीटयूट को जैन गोड़ीजी मंदिर के पास, सांचोर में स्थित किराये के भवन से अपने स्वयं के भवन ग्राम डेडवा खुर्द तहसील सांचोर जिला जालोर में स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

अब इस महाविद्यालय का पता ग्लोबल एज्यूकेशन इंस्टीटयूट, ग्राम डेडवा खुर्द तहसील सांचोर जिला जालोर होगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1.विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3.जिला कलेक्टर, जालौर।
4.कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5.सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6.सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7.रक्षित पत्रावली ।

13/1/16
संयुक्त निदेशक,(नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

Self Attested

सचिव
ग्लोबल एज्यूकेशन सोसायटी
सांचौर (जालोर)